Drinking water scheme in Uttar Pradesh

1870. SHRI ZAINUL BASHER:
SHRI RAM AWADH:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) how many villages in Uttar Pradesh have been covered by the Drinking Water Scheme;

(b) how many villages have not yet been covered by the Drinking water Scheme;

(c) whether it is the policy of Government to provide drinking water to every village through this scheme; and

(d) if so, the details thereof and time upto which this facility will be provided?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) 7001 problem villages, have been provided water supply upto 31st March, 1980.

(b) 28,505 problem villages, are yet to be provided drinking water supply as on 1-4-1980.

(c) and (d). High priority has been accorded to provide safe drinking water to all the problem villages in the country during the Sixth Plan period (1980—85).

गुजरात में कृषि ऋणों की माफी

1871. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कृषि ऋणों की वसूली को माफ करने की योजना केन्द्र सरकार को उसकी सहमति के लिये दे दी है और यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार कृषि और कृषकों को इस भार से छुटकारा दिलाने के लिये कोई अन्य कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारत सरकार को गुजरात सरकार से कृषि ऋणों की वसूली माफ करने से संबंधित कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भारत सरकार ने ऋण से राहत देने के लिये राज्य सरकारों को पहले ही मार्गदर्शी सिद्धांत परिचारित कर दिये थे तथा गुजरात सरकार ने अपेक्षित विधान बना दिया है । प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियों में वसूली स्थगित करने के लिये संस्थागत ऋणों को पुनः निर्धारित करने अथवा उनके स्वरुप में परिवर्तन करने की व्यवस्था विद्यमान है ।

प्राकृतिक आपदाओं के पुनः प्रकोप होने पर विशेष परिस्थितियों में गरीब किसानों के ऋणों को बट्टे खाते में डालने का भी प्रावधान है । भारत सरकार ऐसे किसी उपाय के पक्ष में नहीं है जिससे संस्थागत ऋणों को अंधाधुंध तरीके से बट्टे-खाते में डाला जा सके क्योंकि इससे ऋणों की वसूली का वातावरण दूषित करने, जानबूझ कर अदायगी न करने और ऋण देने वाली संस्थाओं की आत्मक्षमता को नष्ट करने की प्रवृत्ति को बल मिलता है ।

Legislation for Bringing Education in Central List

1872. SHRI K. K. TEWARI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether in order to introduce uniformity in the pattern of education and for maintaining its secular

character, Government propose to effect suitable legislation for bringing education in the Central List; and

(b) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) No, Sir.

(b) Education (except in regard to entries already in the Union List) is included in the Concurrent List in the Seventh Schedule of the Constitution. The legislative powers of the Union and the States are coextensive in regard to subjects included in the Concurrent List. The diversity in our culture, language, geography, etc. requires that the State Governments have legislative and executive powers to administer educational system appropriate to social, cultural and linguistic sensibilities and needs of the people of the State. The present arrangement is in conformity with our federal polity and is considered adequate for ensuring a flexible and decentralised system of education within a broad national frame-work and subserving national interests.

गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान डी० डी० ए० द्वारा फ्लैटों का निर्माण

1873. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान सफदरजंग, पंखा रोड, लारेंस रोड, झिलमिल कालोनी तथा विवेक विहार में अलग-अलग कितने जनता क्वार्टरों का निर्माण किया गया और अलाटियों द्वारा अधिकृत क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां रहने वाले अलाटियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) महात्मा गांधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969 के उपलक्ष में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न-लिखित कालोनियों में 975 सी0 एस0 पी0 फ्लैटों का निर्माण किया गया था :—

सफदरजंग . .	207
ईस्ट ऑफ कैलाश .	133
झिलमिल कालोनी .	252
पंखा रोड . .	383
जोड़ : .	975

इन फ्लैटों का आवंटन वर्ष 1970 में किया गया था ।

(ख) जी, नही । ऐसा कोई प्रस्ताव नही है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्मित फ्लटों का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास संपदा के प्रबन्ध और निपटान विनियमन, 1968 में दी गई शर्तों द्वारा प्रशासित होता है ।

Subsidy for Marginal Landless Peasants

1874. SHRI ANANDA PATHAK: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether there is any scheme under the consideration of Government to give subsidy for marginal and landless peasants in the country; and